...023 को वास्ते आदेश रखी जावें।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

01/05/023 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर रेवाडा में पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर। अधिवक्ता वादी को पुन: एक तरफा मजमें आम मे सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक/भू०अ०/22/1066 दि० 08/09/022 से प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया गया की प्रार्थी की आराजीयात पर पहुचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है एवं पक्षकारान को राजीनामे बाबत सहमत नही है। प्रार्थी की आराजीयात पर पहुचने के लिए आराजी सं. 309 रकबा 5.76 हैअर प्रस्तावित किया गया। जिसका प्रतिकर राशि इस क्षेत्र की डीएलसी दर की दुगुनी राशि से कुल 1,95,316/- रूपये अक्षरे एक लाख पंचानवे हजार तीन सौ सोलह रूपये मात्र प्रतिकर रूप में तय की गई है। जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। रिपोर्ट तहसीलदार राशमी अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात पर पहुचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार इस अनुसार 5.76 हैअर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 1,95,316/- रूपये नियमानुसार देय

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.07.07 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

उनके है जो कि आराजी संख्या 309, के खातेदार को हक हिस्सा अनुसार देय है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण की आराजी सं. 309, में से तहसीलदार राशमी की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुतम/निकटतम मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा के अनुसार 5.76 ऐअर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थीगण से प्रतिकर राशि 1,95,316/- रुपये वसूल की जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात के अनुसार हक हिस्से अनुसार वितरित किया जावें। इस हेतु तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थी को उनके हक हिस्से अनुसार वितरण किया जावें एवं तत्पश्चात् राजस्व रिकोर्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। प्रस्तावित लघुतम/निकटतम मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा।

-: क्रियात्मक आदेश :-

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 1,95,316/- रुपये प्रार्थीगण से वसूल किये जाकर खातेदार अप्रार्थी को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान किया जाकर मौजा पहुनी पटवार हल्का रेवाड़ा की आराजी सं. 309 मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 5.76 ऐअर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। एवं नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। पत्रावली नियति इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दि. 01.05.2023 को खुले ... प्रशासन गांवों के संग ... अभियान शिविर ... में ... सुनाया गया।

(नीता वसीटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.07.07 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested